संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक :1172/14–1, एटा: दिनांक: 15–12–2021

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
जनपद निर्माण–द्वितीय, 2 X 660
मेगावाट जवाहरपुर तापीय विधुत परियोजना,
जवाहरपुर विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड,
मलावन, एटा (उ0प्र0)।

विषयः– **जनपद एटा के अन्तर्गत एटा रेलवे स्टेशन से 2 x 660 वाट जवाहरपुर विधुत तापीय परियोजना तक (19.603 कि0मी0) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 3.8386) हे0 आरक्षित वनभूमि) कुल 4.2069 है0 भूमि का गैर वानिकी प्रयोग 05 वृक्ष एवं 228 पौधे/झाड़ी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव FP/UP/Rail/47261/2020**

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/07/210/2021/FC/555 दि0 01.12.2021 व कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–11सी/1674/F.P./U.P./ Rail/ 47261/2020 लखनऊ दि0 02.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक– 1157/14–1 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एन0पी0वी0गणना की त्रृटि का संशोधित करते हुए संदर्भित कार्यालय के पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का संदर्भित ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा 1 से 27 शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, दी गई शर्तों के क्रम में आपसे निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित है संबंधी वचनबद्धता।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वन भूमि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर ग्राम निगोह हसनपुर की 3.8386 हेक्टेयर गैर वन भूमि और दस्तमपुर वन प्रखंड, जिला-एटा की 4.5752 हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण किया जायेगा. जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों के मिश्रण को रोपा जाएगा और किसी भी प्रजाति के मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।
4. प्रस्तावित प्रतिपूरक वनरोपण भूमि (3.8386 हेक्टेयर एनएफएल और 4.5752 हेक्टेयर डीएफएल) को संशोधित केएमएल फाइलें PARIVESH पोर्टल पर अपलोड किए जाने संबंधी वचनबद्धता।
5. सीए के लिए प्रस्तावित गैर-वन भूमि को वन विभाग के नाम पर स्थानांतरित और उत्परिवर्तित किया जाएगा और चरण-II अनुमोदन से पहले आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 के तहत या राज्य वन अधिनियम की प्रासंगिक धारा के तहत गैर-वन भूमि घोषित करने वाली मूल अधिसूचना की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की जाएगी।

6. प्रतिपूरक वनरोपण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक आवंटन की लागत और सीए भूमि पर सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तंभों के निर्माण की लागत यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।

7.सीए को 10 साल के लिए मेंटेन किया जाएगा। योजना में बाद के वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार 4.2069 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) चार्ज करेगी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30/10/2002 के आदेश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। मंत्रालय द्वारा पत्र सं. 5-1/1998-एफसी (भाग II) दिनांक 18/09/2003, साथ ही पत्र संख्या 5-2/2006-एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3/2007-एफसी दिनांक O5/ इस संबंध में 02/2009। ई - पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0- 3700470/- (सैंतीस लाख चार सौ सत्तर मात्र) तथा एनपीवी **संरक्षित वन क्षेत्र 0.3683 हे0 मु0 230556.00 व आरक्षित वन क्षेत्र की** ~~**242964.00**~~ 2402964/- कुल एन0पी0वी0 धनराशि 2633520/- (**छब्बीस लाख तैंतीस हजार** पांच सौ बीस मात्र) जमा कर प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करें।

8. परिवर्तित वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जिसे विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद देय हो, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा कराई जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी इस आशय संबंधी वचनबद्धता प्रस्तुत करे।

9. प्रयोक्ता अभिकरण हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम संख्या तक सीमित रखेगा और वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में पेड़ों को काटा जाएगा और पेड़ों की कटाई की लागत वन निगम मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किए जाने संबंधी वचनबद्धता।

10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित द्वारा हस्तांतरित पाँच प्रतियों मे प्रस्तुत करे।

12. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर रेलवे लाइन के साथ स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।

13. प्रयोक्ता एजेंसी संरक्षित क्षेत्र में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू /एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किए जाने संबंधी वचनबद्धता।

14. प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेगी, अन्यथा अपनी वचनबद्धता/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

15. प्रस्ताव की लेआउट योजना केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित किए जाने संबंधी वचनबद्धता।

16. वन भूमि पर कोई श्रम शिविर स्थापित नहीं किए जाने संबंधी वचनबद्धता।

17. पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन, राज्य वन विभाग/वन निगम या वैकल्पिक ईंधन का कोई अन्य कानूनी स्रोत से समान खरीद के बाद श्रमिक को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने संबंधी वचनबद्धता।

18. डायवर्ट की गई वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त रूप से सीमांकन प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा तथा सीमांकन स्तभों की कुल लागत मु0 22000/- का ड्राफ्ट प्रभागीय वन अधिकारी के नाम देय जमा कराये।

19. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जाने संबंधी वचनबद्धता।

20. इस अनुमोदन के तहत वन भूमि हस्तांतरण की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना जीवन के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, के साथ सह-टर्मिनस होने जाने संबंधी वचनबद्धता।

21. वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाने संबंधी वचनबद्धता।

22. प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किए जाने संबंधी वचनबद्धता।

23. डायवर्ट की जाने वाले क्षेत्र की केएमएल फाइल, सीए क्षेत्र, प्रस्तावित एसएमसी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट एरिया और डब्ल्यूएलएमपी क्षेत्र को सभी अपेक्षित विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही रैखिक परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति प्रदान की जाएगी।

24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। 1980 और एमओईएफ एंड सीसी गाइडलाइन एफ. नंबर 11-42/2017-एफसी दिनांक 29/01/2018 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

25. वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य शर्त के पालन करने संबंधी वचनबद्धता।

26. परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सभी निधियों को कैम्पा निधि में केवल (एचआरटीपीएसरिवेश एनआई 27 में) के माध्यम से जमा किया जाएगा।

27. अनुपालन रिपोर्ट को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तो का पालन/वचनवद्धता व ई–चालान की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करें। उक्त समस्त शर्तों के सम्बन्ध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति ही अन्तिम मानी जायेगी।

भवदीय,

14/12/2021

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।